

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

—00—

क्रमांक/२५७०/४४७/आउशि/समन्वय/२०१९

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

प्रति,

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :-

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र २०१९-२० हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :-

अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ १७-९५/२०१७/३८-२ अटल नगर रायपुर, दिनांक २४.०५.२०१९

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र २०१९-२० हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०१९-२० की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०१९-२० में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

पृ. क्रमांक/२५७०/४४७/आउशि/समन्वय/२०१९

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/ जगदलपुर/ अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/5 /2019
प्रति

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 08.05.2019

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के
लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति
संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते
हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित
करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(प्रविन्द्र मेहेंकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / /2018
प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया
रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. गार्ड फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

1. प्रयुक्ति -

1.1. ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ लागू करने हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2. प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पत्रों पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अवस्वीकृत प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व सस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावे।

2.2. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

उच्च-माध्यमिक प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कड़िका 5.1 (क) में उल्लिखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण -

आवेदक 'क' न किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश किया हो। उसके बाद उसके माता-पिता का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया। इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक 'क' को स्थान (ब) में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह स्थान (अ) में प्रवेश लेने में सक्षम हो।

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (द) पर स्थानांतरण होते ही स्थान (द) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक ज्ञान का श्राव आभेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

जिसे संकाय की अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के तुरन्तमा मासिक ज्ञान के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा। 12 वी कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3 प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध सधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपकरण यंत्रण सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छत्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।"

3.2 विधि सनातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में वार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 रॉयशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। संबद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4 प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु व्योक्त विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देय हुए प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित सूचना पटल पर लगाई जावेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक सलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किया जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्रवेश दिया गया की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

- 3. निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्वाकातरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4. घोषित प्रवेश शूली की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से जुड़ा जायेगा तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्वाकातरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आर.आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त रास्ता से अधिमृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमिक एवं दिनांक का उल्लेख ही प्राप्त करने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6. महाविद्यालय के प्रचार्ये स्वाकातरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित ग्रापनीय रिपोर्ट जारी करेगे कि संबंधित छात्र रेगिस्/अनुशासनहीनता/ताड़फोड़ आदि में संलग्न है या नहीं। ऐसे ग्रापनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्रचार्ये को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा न प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7. छत्तीसगढ़ शासन/उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38 1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार 'राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।' का पालन किया जाये।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (अ) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार या शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भारत सरकार द्वारा सम्मिलित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी किन्तु पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रिया एवं जम्मू काश्मीर के निवासी तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों की नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ब) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश -

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु बाणज्य और कला संकाय के आवेदकों का विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बीएससी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश -

- (क) बी.कॉम/बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम -
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश -

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की वही प्रक्रिया लागू होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाह्न में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति /ओ.बी.सी. हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को

UNIVERSITY BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमति प्राप्त करने में प्रवेश/समावेश पर सहायक सचिव के प्रावधान प्रस्तावी होगी।

समकक्ष परीक्षा -

- 1.1. केंद्रों वाले और संकेपडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कोसिल फॉर संकेपडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। बांग्लादेश मान्य बोर्ड की एग्जेम्प्ट विद्यार्थियों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 1.2. संयुक्त भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय सघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU) को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय या कक्षा शिक्षणिक संस्था की छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केंद्र/ऑफिस/कैंपस और कोललेज छात्र छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा केानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 1.3. संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी कर्जों अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 1.4. वर्ष 2012 में प्रारम्भ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में अर्जितों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013(सी.सी./एन.एस.क्यू.एफ) अप्रैल, 2014 के अनुरार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कोशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नवसंसाधन शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निम्नलिखित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्रों पर शिक्षा से एम स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 के प्रारम्भ किए गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत प्रश्नों को

क प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सम्पन्न कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास 12 शर में व्यावसायिक विषय थे वे अलायनकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों का अन्य शीघ्रतम विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि उन छात्रों को स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए सुअवसर मिल सके।

बाह्य आवेदकों का प्रवेश -

71. स्नातक स्तर के बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छात्रों/समूहों के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवश्यकता न पिसली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाय।
72. छात्रों/समूहों के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम/द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विभिन्न स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य व बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की शूरी/मूलतः जानकारी किए जाने पर संबंधित विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने पर उस प्रवेश को किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वापस कर दिया जाएगा। अन्य राज्य में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत उस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

73. विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालयों के स्नातक पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्रोवाये द्वारा दी जा सकती है।
74. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
75. 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पाटमेंट) प्राप्त विद्यार्थी अस्थायी अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
76. स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त विद्यार्थी अस्थायी अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 7. किसी स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्जामिनेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले में प्रथम आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8. स्नातक डिप्लोमा 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 9. मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को अस्थायी प्रवेश रजिस्ट्रार के जीसगाउ उल्लेख, इमें पर अस्थायी प्रवेश निर्धारित प्रवेश के रूप में मान्य दि जायगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी यदि किसी छात्र ने पूर्व संत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसी अनुत्तीर्ण नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जायेगा, उसी मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र का सफल मात्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के आधार पर ही स्नातक डिप्लोमा प्रमाण दिया जायेगा।
- 9.2 किसी विरुद्ध न्यायालय में चलान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हो परीक्षा में या पूर्व संत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ पूर्ववर्ती व्यवहार करने के कारण आरोप हैं/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचाय अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में लीडकोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रजिग के कारण छात्र/छात्राओं को प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचाय अधिकृत हैं। समस्त स्तर हेतु समिति गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

- 9.4.1 स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्ववर्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के पूर्व जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- 9.4.2 आयु सीमा का कथन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय या अन्य किसी नियमित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशिया, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु गैर-नये छात्रा अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में फेमटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- 9.4.3 किसी संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (10) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातक पूर्ण प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (11) विधि सत्रव्यय का छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विधवा व /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निशक्त अन्य श्रेणी आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.3 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सवारत्त कर्मचारी भी तसवी दैनिक कार्य की अवधि समाप्त होने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि समाप्त होने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजित कर्मचारी के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.4 किसी संस्थान में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-
- 10.1 नीचेकी श्रेणियों से आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
 - (10.1.1) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधि-रथ डे का अधिमात्र जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
 - (10.1.2) स्नातक अध्ययन वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रायश्चान ही विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अस्वीकृत एवं आरक्षित श्रेणियों के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावगी।
- 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
- 11.1 स्नातक स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नियमित/सुसूचित नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्याय-विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 साथ सत्रव्यय का अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परंतु 48 एग्जिगट प्राप्त करने वाले छात्रों की प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान महरील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदक के आवेदनों पर विचार न करते हुए उक्त विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने मंत्र/जायोजन जिलों को सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/महरील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के

इसमें नती सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुमानुक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। स्थान रिक्त होने पर एन.एन.एन.एन. में जाने पर पूरे प्रवेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11) सभी अभ्यर्थित प्रत्यार्षण स्वयंसेवी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की समाप्ति के बाद परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश स्वीकृति के स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकता है।

12) आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1) प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका प्रत्येक समुदाय/वर्गों की संख्या, अर्थात् :-

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रतिशत 15% (पंद्रह प्रतिशत)।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रतिशत 15% (पंद्रह प्रतिशत)।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रतिशत 15% (पंद्रह प्रतिशत)।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सीटें मात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अतिम तिथि(याँ) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षण सीटें अतिम तिथि(याँ) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इस अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2) 11) खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण अधीन निम्नलिखित रूप से व्यवहारित किया जाएगा।

1) निरक्षर व्यक्ति, महिलाओं, भूतपूर्व कामियों /भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन व्यवस्था तद्विधर आरक्षण के भीतर होगा।

2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षण रहेंगे। निरक्षर वर्गों के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षण रहेंगे।

3) सभी वर्गों से उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षण होगा।

4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के लिए उम्मीदवार अधिक जग प्राप्त करने के कारण अनारक्षित वर्गों आपन वर्गों में निम्नानुसार मेरिट सूची में स्थान प्राप्त है तो आरक्षित वर्गों की सीटें प्राप्त नहीं जायेंगी परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी वर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है।

- ता प्रीति की नीति को यह सौद उस आरक्षित श्रेणी में भरो माना जावेगी शेष सबकी को सौद नही जावेगी।
- 12.1 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम अता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा।
- 12.2 प्रतिशत एत एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.3 समु कश्चित निरधारित तथा भाश्रितों को 5 प्रतिशत तक सौद वृद्धि कर प्रवेश दिया जावेगा।
- 12.4 समु कश्चित भाश्रितों को 10 प्रतिशत की छुट प्रदान की जावेगी।
- 12.5 समु कश्चित पर श्रांति द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।
- 12.6 सौदक 12.1 में दशाई गई आरक्षण के प्राक्धान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अनुसार रहेगा।
- 12.7 सुप्रीम कोर्ट के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक 200/2012 अथवा लीमल सुनियेरा अथारिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." को कडाई से पालन किया जाए।
- 13 अधिभार
- आधुनिक मात्र सुमानुष्य निवारण के लिये ही प्रदान किया जावेगा। शत्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नही किया जावेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राक्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने की पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नही किया जावेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।
- 13.1 एन.सी.सी / एन.एस.एस. / स्कॉउट्स
- स्कॉउट्स इन्फे वरी स्कॉउट्स / गाइड्स / रोजर्स / सेवर्स के अर्थ में पठे जावे।
- (क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत
- (ख) एन.एस.एस. / एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत
- मा. प्रीतिम सोषण उत्तीर्ण स्कॉउट्स
- (ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोषण उत्तीर्ण स्कॉउट्स 04 प्रतिशत
- (घ) नए स्तरीय राचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में सुप्री का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04 प्रतिशत
- (ङ) सई दिल्ली के नयातंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
- (च) मा. प्रीतिम स्कॉउट्स 05 प्रतिशत
- (छ) सई प्रती स्कॉउट्स 10 प्रतिशत
- (ज) एन.सी.सी. के मा. प्रीतिम स्कॉउट्स 10 प्रतिशत

12)	आजकल एवं अन्य राष्ट्रों के साथ युवा एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल करने वाले कैंडिडेट एम.सी.सी / एन.एस.एस. के लिए नियमित एवं प्रवास करने वाले कैंडिडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय आयुसे का लिंगे नियमित करने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
13)	आजकल विश्व पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के उत्ती विषय में प्रवेश देने पर	10 प्रतिशत
13.1)	खेलकण्ड - साहित्यिक / सांस्कृतिक / विज्ञान / रूपांकन प्रतियोगिताएं -	
(1)	वाचक शिक्षण संयोजनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा स्नातक स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संगम स्तर प्रतियोगिता में	
(क)	प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत
(2)	उपयुक्त कठिनाई 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संयोजनालय द्वारा आयोजित अन्तराकाय स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तःक्षेत्र केन्द्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय सघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्र प्रतियोगिता में	
(क)	प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	प्रथम स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(3)	भारतीय विश्वविद्यालय सघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में	
(क)	प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग)	प्रथम का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
13.2)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के साथ युवा अथवा साइन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में नियमित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
13.3)	उत्तीसगढ़ कलेक्टर एवं राज्यपाल प्राप्ति खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में	
(क)	छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को	10 प्रतिशत
(ख)	प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली कलेक्टर/राज्यपाल को	20 प्रतिशत

12. नाम, कक्षा व निर्यातिका तथा उनके आश्रितों की

01 प्रतिशत

13. विशेष प्रोत्साहन :-

अन्ताराष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालय के हित में एन सी सी खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन सी सी के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट्स तथा ओलम्पियाड, एशियाड, सपोर्ट्स एग्जिबिशन आदि इत्यादि द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतिस्पर्धा में नाम लेने वाले विद्यार्थियों को वरगुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में शोध प्रकल्प/प्रोजेक्ट/सर्वाकार्यी बना सकता है कि -

(1) 50 प्रमाण के प्रमाण पत्रों को सहायक, सहाय एवं युक्त कल्याण, छत्तोराम, रासना अथवा अतिरिक्त प्राप्त किया गया हो, एवं

(2) कि सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने विद्यार्थित सम्बन्धी के अंतर्गत अथवा अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.2 स्वतन्त्र रूप में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर के पिछले चार कनिष्ठ सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रवेश या प्रवेश प्रमाण पत्र में प्रवेश हेतु विद्यार्थी तीन इम्पिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व 100% अंक प्राप्त करने आवश्यक है।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तकर्ता से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम विद्यार्थित अधिभार अधिभार पर दिये प्रमाणांक पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन के अनुमति महाविद्यालय के प्रभारके द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर अक्टोबर 22 में तन्निश्चित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिना तक ही दी जायेगी। पर अनुमति नहीं महाविद्यालय को देय होगी जिनके प्राप्तकर्ता संबंधित विषय/संकाय की मूल प्रमाणपत्र पर 100% अंकों प्रवेश पाए जाने विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र

आंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालयों में पीएचडी के शोध छात्रों को दी जायेगी के लिए प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेशपूर्वक प्राथमिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में स्नातकोत्तर की अनुशासना पर प्राथमिक द्वारा अभ्यार्थियों को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र विद्यार्थित आवेदन पत्र में आवेदन करने प्रवेश के बाद विद्यार्थित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी निदेशन हेतु महाविद्यालय को प्रथम तृतीय प्रमाणपत्र सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थित नियमों के अंतर्गत ही प्राप्त करके प्रमाणपत्र मिले। अन्ततः अन्ततः लेकर कोई शिक्षा या शोध छात्र के रूप में वर्गीकृत है जो सक्षम अभिचारों द्वारा तैयार उपलब्ध है।

